

समाहरणालय, पटना।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक-

दिनांक-

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- ममरेजपुर, थाना सं०- 174, अंचल-नौबतपुर, थाना-विक्रम, जिला- पटना में कुल 4.61 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 4.61 एकड़ है और जो मौजा- ममरेजपुर, थाना सं०-174, अंचल-नौबतपुर, थाना-विक्रम, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	90	88	रैयती	कृषि	0.49	अजय कुमार सिंह वगैरह	88	73	89	90
2	129	95	रैयती	कृषि	0.42	मथुरा शर्मा पिता स्व० हरिनन्दन शर्मा, सा०- शिरवर	95	95, 73	95 / 369	99 / 354
3	67	132	रैयती	कृषि	0.03	मथुरा शर्मा पिता स्व० हरिनन्दन शर्मा, सा०- शिरवर	139	132	133	131
4	105	148	रैयती	कृषि	0.01	राघवेन्द्र कुमार पिता स्व० सियाराम सिंह, सा०- शिरवर	148	148 / 366	151	149 / 367
5	116	149	रैयती	कृषि	0.41	गिरजा सिंह पिता चन्देश्वर सिंह वों लालदेव शर्मा वों मुनेश्वर कुमार पिता स्व० बद्री ना० शर्मा, सा०- शिरवर	149	150 / 365	149 / 367	139
6	9	310	रैयती	कृषि	0.26	राघवेन्द्र कुमार पिता स्व० सियाराम सिंह, सा०- शिरवर	310	312	310, 320	150 / 362
7	116	150 / 362	रैयती	कृषि	0.96	राघव प्रसाद सिंह वगैरह	150 / 362	311	310	150 / 363
8	68	150 / 363	रैयती	कृषि	0.94	राघव प्रसाद सिंह वगैरह	154, 155, 157	150 / 363	150 / 362	150, 153
9	9	150 / 364	रैयती	कृषि	0.42	राम निवास शर्मा पिता श्री सहजा सिंह, सा०- शिरवर	148 / 366	150 / 364	150	150 / 365
10	130	150 / 365	रैयती	कृषि	0.31	गिरजा प्र० शर्मा वों लालदेव शर्मा वों भुवनेश्वर शर्मा वों अरविन्द शर्मा वों सुरेश प्रसाद, सभी सा०- शिरवर	149	150 / 365	150 / 364	138
11	49	148 / 366	रैयती	कृषि	0.15	अमित प्रकाश पिता ज्योति कुमार, सा०- शिरवर	148	150 / 364	151	149 / 367
12	9	149 / 367	रैयती	कृषि	0.21	अशोक कुमार वों ज्योति कुमार पिता स्व० रामजी शर्मा एवं राघवेन्द्र शर्मा पिता स्व० सियाराम सिंह, सा०- शिरवर	149 / 367	150 / 364	148 / 366	149

ke

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-३०/२०१३ की धारा १५ में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ह०/

समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक सं०- 1650

दिनांक: 07/09/17

1. प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

be
7/9
समाहर्ता,
पटना।